प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क आरटीए रास्ता स्वीकृति बाबत

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री जगजीत सिंह रमाणा	प्रार्थी
2. श्री अनिल सिहाग	अप्रार्थी संख्या 1 व 2
3. श्री हरजिन्द्र सिंह रमाणा	अप्रार्थी सं. 3 ता 6
4. श्री चैन सिंह शेखावत	अप्रार्थी संख्या 8
5. जरिये सरकार तहसीलदार पीलीबंगा	अप्रार्थी संख्या 7

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 18/12/2025

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क आरटीए रास्ता स्वीकृती बाबत प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि –यह कि प्रार्थी का अपने भाई जीतपाल सिंह के साथ व हिस्सा बराबर चक 8 पी बी एन के खाता सं. 38/4 के प.नं. 43/294 के मु.नं. 12 के किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 की कुल 1.265 हैक. नहरी दर्ज रिकार्ड है जिसमें प्रार्थी का 1/2 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है व कब्जा काश्त है।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2026.03.19 17:34:31 IST
Reason: SelfAttested

यह कि अप्रार्थी सं. 1 व 2 के नाम बहिस्सा बराबर चक 8 पी बी एन के खाता सं. 116/75 के प.नं. 43/294 के मु.नं. 12 के किला नं. 3, 4, 7, 8, 13, 14, 17, 18, 23, 24 की कुल 2.530 हैक. नहरी दर्ज रिकार्ड है।

यह कि अप्रार्थी सं. 3 ता 6 के नाम चक 8 पी बी एन के खाता सं. 77187 के प.नं. 43/293 के मु.नं. 5 के किला नं. 1/0 190, 2, 9, 10 / 0.190, 11/0.190, 12, 19, 20/0.190, 21/0.190, 22 व प.नं. 43/294 के मु.नं. 12 के किला नं. 1/0 190, 2, 9, 10/0.190, 11/0 190, 12, 19, 20/0.190, 21/0 190, 22 की कुल 4.430 हैक. नहरी राजस्व दर्ज रिकार्ड है जिसमें अप्रार्थी सं. 3 का 1/6 हिस्सा, अप्रार्थी सं. 4 का 1/6, अप्रार्थी सं. 5 का 1/6 हिस्सा, अप्रार्थी सं. 6 का 1/2 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है।

यह कि मिन प्रार्थी का का प्रार्थना पत्र की दफा 1 में वर्णित कृषि भूमि में अपने 1/2 हिस्सा पर कब्जा काश्त है। मिन प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि प्रार्थना पत्र की दफा 1 में वर्णित चक 8 पी बी एन के प.नं. 43/294 के किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 में काश्त करने हेतु व कृषि के औजार लाने ले जाने हेतु व कृषि कार्य के लिए आने जाने हेतु अप्रार्थी सं. 1 व 2 के प.नं. 43/294 के किला नं. 3, 4, व अप्रार्थी सं. 3 ता 6 के प.नं. 43/294 के किला नं. 1, 2, में पूर्व से पश्चिम उत्तर दिशा में घरेलु खाला के साथ चिपते दक्षिण दिशा में 0.012 हैक. रास्ता चालु है इस प्रकार अप्रार्थी सं. 1 व 2 के किला नं. 3 में 0.012 हैक. किला नं. 4 में 0.012, तथा अप्रार्थी सं. 3 ता 6 के किला नं. 1 में 2. 012 हैक., किला नं. 2 में 0.012 हैक, रास्ता मौका पर चालु है जिसे मिन प्रार्थी किला नं. 1, 2, 3, 4 में बने रास्ते से अपने कब्जा काश्त के किला नं. 5 में पहुचंता हूं। किला नं. 1, 2, 3, 4 के इन किला नम्बरो में पूर्व से पश्चिम उत्तर दिशा में घरेलु खाला के साथ चिपते दक्षिण दिशा में इन बीघो के उत्तर दिशा में रास्ता मौका पर कई वर्षों से चालु है इसी रास्ता से मिन प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में आता जाता हूं व इसी रास्ता का उपयोग व उपभोग करता आ रहा हूं इस चालु रास्ता के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मिन प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आने जाने के हेतु उपलब्ध नहीं है व न ही कोई अन्य नजदीक रास्ता है अप्रार्थीगण मिन प्रार्थी को आए दिन तंग व परेशान करते है अप्रार्थी सं. 1 व 2 ने कृषि भूमि जगदेव सिंह नाम के व्यक्ति को ठेके पर दे रखी है जिस व्यक्ति को ठेके पर दी है वह आए दिन रास्ता में व्यवधान व रूकावटे पैदा करता है जिसको ऐसा करने की अधिकारीता नहीं है इस कारण प्रार्थी चक 8 पी बी एन के प.नं. 43/294 में अप्रार्थी सं. 1 व 2 के किला नं. 3 में 0.012 हैक. किला नं. 4 में 0.012, तथा अप्रार्थी सं. 3 ता 6 के किला नं. 1 में 0.012 हैक, किला नं. 2 में 0.012 हैक. रास्ता मौका पर चालु है जो इन किला नम्बरो में पूर्व से पश्चिम उत्तर दिशा में घरेलु खाला के साथ चिपते दक्षिण दिशा में इन बीघो के उत्तर दिशा में रास्ता मौका पर कई वर्षो से चालु जिसको प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत करवाने के अधिकारी है

यह कि प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार है जो उचित न्याय शुल्क पर अंदर मियाद प्रस्तुत है। यह कि अप्रार्थी ... प्रार्थना पत्र में संयोजित किया गया है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2026.03.19 17:34:31 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर चक 8 पी बी एन के प.नं. 43/294 में अप्रार्थी सं. 1 व 2 के किला नं. 3 में 0.012 हैक. किला नं. 4 में 0.012, तथा अप्रार्थी सं. 3 ता 6 के किला नं. 1 में 0.012 हैक., किला नं. 2 में 0.012 हैक. रास्ता मौका पर चालु है जो इन किला नम्बरो में पूर्व से पश्चिम उत्तर दिशा में घरेलु खाला के साथ चिपते दक्षिण दिशा में इन बीघो के उत्तर दिशा में रास्ता मौका पर कई वर्षो से चालु है को मिन प्रार्थी स्वीकृत करवाने का अधिकारी है।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट सरिस्ता दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थी संख्या 3 ता 6 की ओर से श्री हरजिन्द्र सिंह रमाणा द्वारा हाजिर होकर वकालतनामा मय जवाब प्रस्तुत किया गया प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जबाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी सं. 3 ता 6 और से निम्न प्रकार से है यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 कृषि भूमि दर्ज रिकार्ड होना स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 मुताबिक रिकार्ड स्वीकार है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 मुताबिक रिकार्ड स्वीकार है लेकिन मिन अप्रार्थीगण के नाम से चक 8 पीबीएन के खाता सं. 77/87 के प.नं. 43/293 किला नं. 1/190, 2, 9, 10/.190, 11/.190, 12, 19, 20 / 190, 21 / 190, 22 की 2.215 है. भूमि मिन अप्रार्थीगण की पैतृक कृषि भूमि है व प.नं. 43/294 (12) किला नं. 1/.190, 2, 9, 10/.190, 11/.190, 12, 19, 20/.190, 21/.190, 22 की 2.215 हैक. भूमि मिन अप्रार्थी सं. 3 ता 5 के पिता व पति गुरमेल सिंह व अप्रार्थी सं. 6 महमा सिंह के द्वारा जरिये बैयनामा दिनांक 19.05.1993 को सन्तुलराम पुत्र सुरजाराम जाति सुथार साकिन दुलमाना से ब.हि. ब. खरीद की है । अप्रार्थी सं. 3 ता 5 के पति व पिता गुरमेल सिंह का देहान्त होने पर उक्त रकबा विरास्तन प्राप्त हुआ है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 अस्वीकार है । प्रार्थी कभी भी मिन अप्रार्थीगण की भूमि प.नं. 43/294 के किला नं. 1, 2 में रास्ता से नही गुजरा है व ना ही उक्त भूमि में कभी कोई रास्ता चालू रहा है। प्रार्थी के द्वारा पीछे नरमा की चुगाई के समय में मिन अप्रार्थीगण की भूमि मे से अस्थाई तौर पर जाकर काश्त करते थे । प्रार्थी का कथन उक्त रास्ता कई वर्षो से चालू है जो कतई गलत व मिथ्या तथ्य है। मिन अप्रार्थीगण के द्वारा अपनी उक्त भूमि किसी को ठेका पर नही दी हुई है। प्रार्थी के द्वारा गलत तथ्य पेश किये गये है । मिन अप्रार्थीगण प्रार्थी को उसकी जमीन में आने जाने के लिये अपनी भूमि चक 8 पीबीएन के प.नं. 43/294 किला नं. 21 व 22 प्रत्येक में 0.012 हैक. रास्ता देने के लिये तैयार व तत्पर है। उसके बदले प्रार्थी अपनी भूमि में से 2 विस्वा भूमि अप्रार्थी सं. 1, 2 के चिपती छोड़े और अप्रार्थी सं. 1 व 2 अपनी भूमि में से 2 बिस्वा भूमि मिन अप्रार्थीगण के चिपती छोड़े क्योंकि मिन अप्रार्थीगण की भूमि रोड़ पर चिपती है जिसकी बाजार कीमत अधिक है लेकिन डीएलसी रेट कम है इसलिये मिन अप्रार्थीगण को रास्ता की भूमि के बदले भूमि दी जावे । प्रार्थी जहां से रास्ता की मांग कर रहा है वहां पर रास्ता स्वीकृत होने पर मिन अप्रार्थीगण की भूमि टो टुकड़ो में बंट जायेगी जिससे अप्रार्थीगण को काश्त करने मे समस्या होगी।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 5 अस्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 6 कानूनी है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि मिन अप्रार्थीगण प्रार्थी को अपनी भूमि चक 8 पीबीएन के प.नं. 43/294 के किला नं. 21 व 22 प्रत्येक में 0.012 हैक. रास्ता देने के लिये तैयार है इसके बदले उतनी भूमि प्रार्थी से मिन अप्रार्थीगण को दिलवाई जाकर रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो मिन अप्रार्थीगण को कोई आपति व एतराज नही होगा।

अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से श्री अ[illegible] मय जवाब प्रार्थना पत्र का अप्रार्थी न. 2 हरजीतकौर की ओर से प्रस्तुत [illegible] शामिल पत्रावली है। जवाब प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार से है–

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2026.03.19 17:34:31 IST
Reason: SelfAttested

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 में [illegible] की मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार सही तथ्य पेश नही किये हैं । और प्रार्थी [illegible] चक 8 पी बी एन का प. न. 43/294 मु.न. 12 कि.न. 5, 6, 15, 16, 25 की 1.265 है. नहरी कृषि भूमि के शेष 1/2 हिस्सा कृषि भूमि के संयुक्त खातेदारान का उल्लेख नहीं कर अपने प्रार्थना पत्र में विधिक तथ्य को छुपाया है।

3

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 अस्वीकार है। क्योंकि चक 8 पी बी एन का प.न. 43/294 मु.न. 12 कि.न. 5, 6, 15, 16, 25 की 1.265 है. नहरी कृषि भूमि में प्रार्थी ने अपना 1/2 हिस्सा होना जाहिर किया है लेकिन प्रार्थी ने अपने 1/2 हिस्सा का कब्जा किस भूमि पर है इसका प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में कहीं वर्णन नहीं किया है। जबकि प्रार्थी ने न्यायालय को गुमराह करते हुए उक्त 1.265 है. कृषि भूमि के शेष 1 / 2 हिस्सा कृषि भूमि के संयुक्त खातेदारान को छुपा कर उन्हें हस्तगत् प्रार्थना पत्र में पक्षकार भी नहीं बनाया व उक्त 1.265 है. सम्पूर्ण कृषि भूमि पर कृषि कार्य हेतू आने जाने का कथन करते हुए झूठे व निराधार तथ्यों पर अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जबकि उक्त 1. 265 है. कृषि भूमि का एक हिस्सेदार जीतपालसिंह है जो प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की दफा 1 में वर्णित उक्त 1.265 है. कृषि भूमि में कोई रास्ता की मांग नहीं की है जिससे सपष्ट है। जिस रास्ता से उक्त जीतपालसिंह अपनी कृषि भूमि के लिये आना जाना कर रहा है वहीं से प्रार्थी जसपालसिंह भी अपनी हिस्से की भूमि पर आना जाना कर रहा है। मुझ अप्रार्थी के हिस्सा की कृषि भूमि उक्त चक 8 पी बी एन का प.न. 43/294 के कि.न. 3 व 4 के उत्तरी दिशा की सींव पर तथा कथित रास्ता कभी चालू नहीं रहा है। जबकि मुझ अप्रार्थीया न. 2 का पुत्र अप्रार्थी न. 1 रघुवीरसिंह न्यूजीलैण्ड विदेश में रहता है जिसे तलबी के अभाव में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है । फिर भी प्रार्थी को रास्ता की सुविधा के लिये चक 8 पी बी एन का प. न. 43/294 का कि.न. 23/0.012, 24/0.012 कुल 0.024 है. को गै. मु. को रास्ता जो इन बीघों के दक्षिण दिशा की सींव पर जो कि पत्थर लाईन है पूर्व-पश्चिम लम्बा स्वीकृत किया जाकर मुझ अप्रार्थी न. 2 व अप्रार्थी न. 1 को 0.048 है. ब. हिस्सा बराबर कृषि भूमि प्रार्थी की भूमि में से दी जावे जो भूमि अप्रार्थी न. 1 व 2 की भूमि के चिपते हुए पाँचों बीघों में समान चौड़ाई तक दी जावे ताकि अप्रार्थी न. 3 ता 6 की रास्ता की एवज में आने वाली भूमि के लिये मुझ अप्रार्थी न. 2 उक्त अप्रार्थी न. 1 की तलबी के पश्चात अप्रार्थी न. 1 व 2 को प्रार्थी से प्राप्त होने वाली कुल 0.048 है. में से अप्रार्थी न. 1 व 2, अप्रार्थी न. 3 ता 6 को 0.024 है. ब. हिस्सा बराबर बराबर कृषि भूमि उनके साथ लगती हुई कृषि भूमि में से उन्हें दे सके । ताकि अप्रार्थी न. 3 ता 6 को भी रास्ता की एवज में कृषि भूमि प्राप्त हो सके। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 5 अस्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 6 कानूनी है। अतः उपरोक्त अनुसार जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। श्री मान जी की अति कृपा होगी।

अप्रार्थी संख्या 8 की ओर से श्री चैन सिंह शेखावत अधिवक्ता हाजिर वकालतनामा मय जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है शामिल पत्रावली है। जवाब प्रार्थना पत्र मिन अप्रार्थी सं. 8 की ओर से निम्न प्रकार से है-यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 राजस्व रिकार्ड से सम्बंधित है जिसमें मिन अप्रार्थी का अपने भाई प्रार्थी जसपाल सिंह के साथ ब हिस्सा बराबर चक 8 पी बी एन के खाता सं. 38/4 के प.नं. 43/294 के मु.नं. 12 के किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 की कुल 1.265 हैक नहरी दर्ज रिकार्ड है जिसमें मिन अप्रार्थी का 1/2 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है व कब्जा काश्त है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 में वर्णित कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड की हद तक स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 में वर्णित कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड की हद तक स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 अस्वीकार है मिन अप्रार्थी को अपनी कृषि भूमि चक 8 पी बी एन के प.नं. 43/294 के किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 की कुल 1.265 हैक. नहरी सयुक्त खाता की कृषि भूमि में आने जाने के लिए आप्रार्थी सं. 1 व 2 के प.नं. 43/294 के किला नं. 3/0.012, 4/0.012 के उत्तरी दिशा में पूर्व से पश्चिम व अप्रार्थी सं. 3 ता 6 के प.नं. 43/294 के किला नं. 1/0.012, 2/0.012 में पूर्व से पश्चिम दिशा में रास्ता चालु इस प्रकार किला नं. 1/0.012, 2/0.012, 3/0.012, 4/0.012 में रास्ता चालु है जो अर्सा दराज से बना हुआ है मिन अप्रार्थी अपनी कृषि भूमि में ने जाने के लिए इसी रास्ते का

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2026.03.19 17:34:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

...योग व उपभोग करता है इस चालु रास्ता के अलावा न अप्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता सुविध जनक नहीं है इस कारण चक 8 पी बी एन के प.नं. 43/294 के किला नं. 1/0.012, 2/0.012, 3/0.012, 4/0.012 उतरी दिशा में पूर्व से पश्चिम रास्ता स्वीकृत किया जायें। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी का जवाब, प्रार्थना पत्र स्वीकार कर चकं 8 पी बी एन के पृ.नं. 43/294 में अप्रार्थी सं. 1 व 2 के किला नं. 3 में 0.012 हैक. किला नं. 4 में 0.012, तथा अप्रार्थी सं. 3 ता 6 के किला नं. 1 में 0.012 हैक., किला नं. 2 में 0.012 हैक. में पूर्व से पश्चिम उत्तर दिशा में रास्ता मौका पर चालु है को स्वीकृत किया जावें। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 में प्रार्थी ने जमाबन्दी चालू की मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार सही तथ्य पेश नहीं किये हैं । और प्रार्थी द्वारा चक 8 पी बी एन का प. न. 43/294 मु.न. 12 कि.न. 5, 6, 15, 16, 25 की 1.265 है. नहरी कृषि भूमि के शेष 1/2 हिस्सा कृषि भूमि के संयुक्त खातेदारान का उल्लेख नहीं कर अपने प्रार्थना पत्र में विधिक तथ्य को छुपाया है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 अस्वीकार है। क्योंकि चक 8 पी बी एन का प.न. 43/294 मु.न. 12 कि. न. 5, 6, 15, 16, 25 की 1.265 है. नहरी कृषि भूमि में प्रार्थी ने अपना 1/2 हिस्सा होना जाहिर किया है लेकिन प्रार्थी ने अपने 1/2 हिस्सा का कब्जा किस भूमि पर है इसका प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में कहीं वर्णन नहीं किया है। जबकि प्रार्थी ने न्यायालय को गुमराह करते हुए उक्त 1.265 है. कृषि भूमि के शेष 1/2 हिस्सा कृषि भूमि के संयुक्त खातेदारान को छुपा कर उन्हें हस्तगत् प्रार्थना पत्र में पक्षकार भी नहीं बनाया व उक्त 1.265 है. सम्पूर्ण कृषि भूमि पर कृषि कार्य हेतू आने जाने का कथन करते हुए झूठे व निराधार तथ्यों पर अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जबकि उक्त 1.265 है. कृषि भूमि का एक हिस्सेदार जीतपालसिंह है जो प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की दफा 1 में वर्णित उक्त 1.265 है. कृषि भूमि में कोई रास्ता की मांग नहीं की है जिससे सपष्ट है। जिस रास्ता से उक्त जीतपालसिंह अपनी कृषि भूमि के लिये आना जाना कर रहा है वहीं से प्रार्थी जसपालसिंह भी अपनी हिस्से की भूमि पर आना जाना कर रहा है। मुझ अप्रार्थी के हिस्सा की कृषि भूमि उक्त चक 8 पी बी एन का प.न. 43/294 के कि.न. 3 व 4 के उत्तरी दिशा की सींव पर तथा कथित रास्ता कभी चालू नहीं रहा है। फिर भी प्रार्थी को रास्ता की सुविधा के लिये चक 8 पी बी एन का प.न. 43/294 का कि.न. 23/0.012, 24/0.012 कुल 0.024 है. को गै. मु. को रास्ता जो इन बीघों के दक्षिण दिशा की सींव पर जो कि पत्थर लाईन है पूर्व–पश्चिम लम्बा स्वीकृत किया जाकर अप्रार्थी न. 2 व मुझ अप्रार्थी न. 1 को 0.048 है. ब. हिस्सा बराबर कृषि भूमि प्रार्थी की भूमि में से दी जावे जो भूमि अप्रार्थी न. 1 व 2 की भूमि के चिपते हुए पाँचों बीघों में समान चौड़ाई तक दी जावे ताकि अप्रार्थी न. 3 ता 6 की रास्ता की एवज में आने वाली भूमि के लिये अप्रार्थी न. 2 उक्त व मुझ अप्रार्थी न. 1 के जरिये वकील हाजिर आने पर अप्रार्थी न. 1 व 2 को प्रार्थी से प्राप्त होने वाली कुल 0.048 है. में से अप्रार्थी न. 1 व 2, अप्रार्थी न 3 ता 6 को 0.024 है. ब. हिस्सा बराबर बराबर कृषि भूमि उनके साथ लगती हुई कृषि भूमि में से उन्हें दे सके। ताकि अप्रार्थी ... 6 को भी रास्ता की एवज में कृषि भूमि प्राप्त हो सके। जबकि अप्रार्थी न. 1 हाल ... लैण्ड में रहता है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 5 अस्वीकार है ... कानूनी है। अतः उपरोक्त अनुसार जवाब प्रार्थना पत्र मय ... निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2026.03.19 17:34:31 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में तहसीलदार पीलीबंगा से रिपोर्ट पत्रांक 714 दिनांक 23.09.2025 से प्राप्त की गई है मुताबिक रिपोर्ट चाहा गया रास्ता मौके पर चालू है। जसपाल सिंह द्वारा रास्ते में आने वाले संबंधित रकबे के समस्त काश्तकारों को पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थी एवं एक अन्य जीतपाल

सहायक कलक्टर एवं ... पीलीबंगा

संयुक्त खातेदार है परन्तु संयुक्त खातेदार को पक्षकार नहीं बनाया है। अन्य स्वीकृत रास्ता नहीं लगता है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ता के अलावा कम दूरी का रास्ता मौके पर नहीं है। अन्य वैकल्पिक रास्ता चालू नहीं है। चाहा गया रास्ता ही मौके पर चालू है।

प्रकरण में प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी बाद निर्णय मा. राजस्व मण्डल अजमेर से निष्पन्न होकर प्राप्त होने पर इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि स्वयम् मौका निरिक्षण बाद निस्तारण किया जावे। प्रकरण प्राप्त होने पर हमारे स्वयम् द्वारा मौका निरिक्षण किया गया। फर्द मौका राजस्व टीम द्वारा प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की उपस्थिति में तैयार किया गया शामिल पेशावली है।

आदेश

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गई। बहस में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता स्वीकृत हेतु निवेदन किया गया। अप्रार्थी अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3 ता 6 ने बहस में कथन किया कि रास्ता मौका पर किला न. 21 ता 25 में चालू है जिसे स्वीकृत किया जावे। किला न. 1 ता 4 में रास्ता स्वीकृत होने पर जमीन के दो टूकडे हो जायेगें एवं किला न. 21 ता 24 में स्वीकृत हेतु निवेदन किया गया। बहस में अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा कथन किया गया कि किला न. 23 व 24 में रास्ता स्वीकृत कर भूमि के बदले भूमि दिलवायी जावे। बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार रिपोर्ट का गहन अध्ययन किया गया। मौका निरिक्षण में किला न. 3 व 4 चार में मौका पर रास्ता छोड़ा हुआ है जिससे प्रतीत होता है कि पूर्व में किला न. 1 ता 4 में रास्ता चालू था जिसे तहसीलदार पीलीबंगा रिपोर्ट में भी पूर्व में चालू दिखाया गया है। मौका निरिक्षण में उक्त रकबा एवं अप्रार्थी संख्या 3 ता 6 की चिपती हुई भूमि में डेम बना हुआ है जिसके कारण अप्रार्थी की भूमि में दो भागों में बांटने वाली कोई स्थिति उत्पन्न नहीं होती है क्योंकि चाहा गया रास्ता प.न. पं.नं. 43/294 में सीधं पर है इस लिए प्रकरण में प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित प्रतीत होता है प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकृत कर तहसील पीलीबंगा के चक 8 पी बी एन के पं.नं. 43/294 में अप्रार्थी सं. 1 व 2 के किला नं. 3 में 0.012 हैक. किला नं. 4 में 0.012, तथा अप्रार्थी सं. 3 ता 6 के किला नं. 1 में 0.012 हैक., किला नं. 2 में 0.012 हैक. रास्ता स्वीकृत किया जाता है प्रतिकर के रूप में प्रार्थी डीएलसी की दूगना राशि जमा करवाये जाने के आदेश पारित किये जाते है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि रास्ता की एवज में प्रार्थी से डीएलसी की दूगना राशि खजाना राज जमा करवाया जाकर उक्त वर्णित भूमि किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होनें, की दशा में आदेशों की पालाना में राजस्व रिकार्ड अमलदरामद करे।

यह निर्णय आज दिनांक 18/12/2025 को हमारे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाय गया। पत्रावली फैसला होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2026.03.19 17:34:31 IST
Reason: SelfAttested

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा